राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर

क्रमांकः सीडी/एपिड/2018/ 07 दिनांकः 08-01-2018

समस्त संयुक्त निदेशक ,
जोन राजस्थान।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः— **मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु माहवार कार्य योजना वर्ष 2018.**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मौसमी बीमारियों एवं जलजनित बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु वर्ष 2018 (जनवरी 2018 से दिसम्बर 2018) की माहवार कार्ययोजना एवं जांच हेतु लिये जाने वाले पानी के नमूनो के मासिक एवं वार्षिक लक्ष्य आवंटित कर आपको भिजवाये जा रहे हैं। (संलग्नः—माहवार कार्ययोजना एवं आवंटित लक्ष्य)

कार्ययोजनानुसार प्रत्येक माह कार्यवाही कर निदेशालय को अवगत कराया जावे। अपने अधीन समस्त अधिकारियों को मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण बाबत् आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें।

माह की प्रत्येक 10 तारीख तक मासिक सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।— 06

निदेशक(जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर ।

क्रमांकः सीडी/एपिड/2018/ 07 दिनांकः 08-01-2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, स्वायत्त शासन एवं स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
5. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजस्थान।
6. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा0), निदेशालय मुख्यालय।
7. निजी सहायक, निदेशक (एड्स/आईईसी/प0क0) निदेशालय मुख्यलाय।
8. अति0 निदेशक (ग्रा0 स्वा0) निदेशालय मुख्यालय।
9. राज्य नियंत्रण कक्ष, निदेशालय मुख्यालय।
10. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भिजवाकर लेख है कि समस्त संबंधित अधिकारियों की ई—मेल आई.डी. पर डलवाने का श्रम करें।
11. पत्रावली/गार्डफाईल।

निदेशक(जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर ।

मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु तिमाही कार्य योजना 2018

जनवरी, 2018

- जनवरी 2018 से दिसम्बर 2018 तक की मासिक सूचना संकलित कर भिजवाना ।
- मौसमी बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम बाबत जिला स्तर/ब्लॉक स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना एवं चिकित्सा दलों का गठन करना।
- जिले में आयोजित होने वाले मेले/उत्सव की सूची अनुसार उनमें चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- मौसमी बिमारियों तथा जलजनित बिमारियों की रोकथाम के लिये आवश्यक सामग्री जैसे ब्लीचिंग पाउडर, दवाइयों, आर्थोटोलूडीन सोल्यूशन, क्लोरोस्कोप, एवं अन्य उपकरण आदि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये आवश्यक बजट आदि के लिऐ प्रस्ताव तैयार कर भिजवाना।
- मस्तिष्क ज्वर से बचाव एवं रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करे।
- शीतलहर व सर्दी जनित बीमारियों से बचाव एवं उपचार हेतु रैन बसेरों में रहने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- मौसमी बिमारियों की रोकथाम बाबत जिला एडवाईजरी कमेटी बैठकों के लिए निर्देश प्रसारित करें।
- सभी जिला अधिकारियों को मौसमी बिमारियों की साप्ताहिक सूचना की मोनिटरिंग जिला स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा करवाने तथा निदेशालय स्तर पर प्रत्येक सोमवार तक निक पर रिपोर्ट भेजने की व्यवस्था करावें।
- अपने क्षेत्रों में अकाल की स्थिति वाले क्षेत्रों का चिन्हीत कर स्थिति से निपटने हेतु कार्ययोजना के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये तथा चिकित्सा सुविधा हेतु दिशा निर्देश जारी करें।
- पानी की जांच हेतु आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप नियमित पानी के नमूने नियमित लिये जाना सुनिश्चित करें।

फरवरी, 2018

- जनवरी माह में की गई गतिविधियों को संचालित करना तथा प्रारम्भ की गई चिकित्सा व्यवस्था का फोलोअप करना।
- खसरा एवं सम्भावित रोगों की निगरानी एवं उपचार की व्यवस्था करना।
- आवंटित बजट से आवश्यक दवाईयॉ व ब्लीचिंग पाउडर क्रय एवं समुचित उपयोग।

मार्च, 2018

- अकाल राहत क्षेत्रों में चल रहे कार्य स्थलों पर पीने के पानी का शुद्धिकरण व मोनिटरिंग तथा आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना। यह सुविधा ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप केन्द्रों पर कराई जावे।
- अपने क्षेत्रों में सभी स्तरों पर किसी प्रकार की माहमारी के प्रकोप की सूचना बाबत कडी निगरानी एवं सतर्कता बरतेंगें।
- प्रत्येक ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था कर मौसमी बीमारियों की रोकथाम बाबत प्रभावी नियंत्रण के लिऐ रेपिडरेसपोन्स टीमों का गठन किया जावे। आउट ब्रेक होने की स्थिति में चिकित्सा दलों को दवाईयां वाहन सहित ऐपिडेमिक क्षेत्र में तुरन्त प्रभाव से नियंत्रण हेतु भिजवाया जावें।
- ब्लॉक अधिकारी को अपने क्षेत्र में माहमारी होने की स्थिति में निदेशालय कन्ट्रोलरूम में सूचना भिजवाने हेतु निर्देशित करें।
- पानी की जांच हेतु लिये गये नमूनों की कार्यवाही को सुदृढ बनाना। प्रत्येक जिले में पानी की जांच हेतु लिये गये आवंटित लक्ष्यों के अनुसार नमूनीकरण की कार्यवाही करना तथा पीएचईडी की प्रयोगशाला में जांच हेतु भिजवायें।
- मौसमी बीमारियों/जलजनित बिमारियों के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम बाबत दिशा निर्देश पुनः जारी करना।

अप्रेल, 2018

- गर्मी जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु सभी अधिकारियों को निर्देशित करें।
- जल जनित बीमारियों की रोकथाम बाबत जलदाय विभाग, बिजली विभाग, स्वायत्तशासी संस्था, ग्राम पंचायत, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि से समन्वय बनाकर आवश्यक निर्देश जारी कराना।
- जलजनित/गर्मी जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु जिला स्तर पर पूर्ण तैयारी कर प्रत्येक ब्लॉक/ उपकेन्द्र स्तर तक रोकथाम बाबत दिशा निर्देश जारी करना।
- दूषित खाद्य पदार्थो की बिक्री पर रोक हेतु निगरानी व्यवस्था सुदृढ करना।
- दूषित जल एवं खाद्य पदार्थो की जांच हेतु नमूनीकरण तथा जलशुद्धिकरण की व्यवस्था सुदृढ करना।
- अकाल राहत/बाढ कार्य के लिऐ प्रस्ताव तेयार कर आवश्यक बजट प्रावधान हेतु राज्य सरकार को भिजवाना व जिलों को दिशा निर्देश प्रदान करना।
- आई0ई0सी0 गतिविधियों के माध्यम से आम जनता को मौसमी बीमारियों के बारे में जानकारी प्रदान कराना तथा रोगों से बचाव एवं रोकथाम से अवगत कराना।

मई, 2018

- लू ताप घात के रोगियों के उपचार के उपचार हेतु अग्रिम रूप से इन्तजाम करना।
- सभी क्षेत्रों में नियमित नमूनीकरण, क्लोरिनेशन की कार्यवाही को सुदृढ किया जावें।
- जिलों एवं जोनल स्तर पर आवश्यक दवाइयों ब्लीचिंग पाउडर का पर्याप्त मात्रा में भण्डारण सुनिश्चित किया जावे।
- मौसमी बीमारियों की स्थिति का जायजा लिया जाकर नियमित मोनिटरिंग किया जाना।
- सामुहिक भोज, शादी समारोह एवं अन्य समारोह में खाद्य पदार्थो एवं पेयंजल के नमूने लेकर जांच हेतु संबंधित प्रयोगशाला भिजवाया जावें।
- गर्मी जनित बीमारियों की मोनिटरिंग एवं चिकित्साकर्मियों द्वारा निगरानी करना।
- संभावित अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों का सर्वे कर कार्ययोजना बनाना।

जून, 2018

- लू–ताप घात मौसमी बीमारी जैसे हैजा, उल्टी–दस्त, पीलिया, आंत्रशोध अन्य मोसमी बीमारियों के रोगीयों की सतर्कता से निगरानी रखते हुये बचाव उपचार व्यवस्था सुनिश्चित करावें।
- रेपिडरेसपोन्स टीम व नियंत्रण कक्षों को सुदृढिकरण करावें।
- मानसून आने से पूर्व ही जलजनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु दिशा निर्देश जारी करावें।
- प्रचार प्रसार के माध्यम से जन साधारण को रोगों के लक्षण बचाव, एवं रोकथाम के बारे में जानकारी देना।
- सभी आईसफैक्ट्रीयों, होटल, ढाबों, सार्वजनिक स्थानों (धर्मशाला, रेल्वे स्टेशन, सिनेमाघरों) के पानी की जांच करना, खाद्य पदार्थो का नमूनीकरण करना व पेयजल स्त्रोतों का क्लोरिनेशन करावें।
- मौसमी बीमारियों की साप्ताहिक मोनेटरिंग, रोकथाम की गतिविधियों का मूल्यांकन तथा दवाई व ब्लीचिंग पाउडर की उपलब्धता आवश्यकता अनुसार सुनिश्चित कराना।
- पेयजल आपूर्ति किये जाने वाली पाईप लाईनो की जांच कर लीकेज पाईपलाईनों की मरम्मत हेतु पी.एच.ई.डी. विभाग से बैठक कर कार्ययोजना बनाना ।
- जिला कलेक्टर एवं जिला प्रशासन से समन्वय बनाकर बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम बाबत बैठक आयोजित कर अग्रिम कार्यवाही कराई जावे।
- वर्षा जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु संभावित बाढ प्रभावित क्षेत्रों कों चिन्हित कर बचाव एवं उपचार हेतु दिशा निर्देश जारी करावें ।

जुलाई, 2018

- जून में की गई व्यवस्थाओं को सतत् जारी रखते हुये कार्यवाही करना। विगत वर्ष में बाढ से प्रभावित अधिक संवेदनशील क्षेंत्रों को चिन्हित कर चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
- नियमित रूप से पानी की जांच हेतु नमूने लिये जाना एवं असंतोषप्रद पाये गये नमुनो के पेयजल स्रोतों का सुपरक्लोरीनेशन कराते हुये पुनः नमुनीकरण की कार्यवाही एवं सर्वेकार्य ।
- वर्षा के मौसम में अधिकतर कुए, बावडी, तालाब, पानी से भर जाने के कारण पानी दूषित हो जाता है। इनके जलशुद्धिकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
- सभी स्वायत्त शासन संस्थाओं, निगम, एवं जलदाय विभाग तथा अन्य विभागों से निरन्तर सम्पर्क रखते हुये कार्यवाही करना।
- असंतोषप्रद पाये गये पेयजल स्त्रोतों से शुद्ध पेयजल आपूर्ति होने तक जनसाधारण को पानी पीने से रोकने की कार्यवाही कराई जावे।
- सर्पदंश प्रभावित क्षेत्रों की पहचान चिन्हीत कर सर्पदंश के रोगियों के उपचार हेतु इन्जेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलबध रखे जावे।

अगस्त, 2018

- आई0ई0सी0 गति विधियों द्वारा मौसमी बीमारियों/वर्षा उपरान्त होने वाली बीमारियों से बचाव एवं उपचार हेतु हेतु जन साधारण को जानकारी देना।
- चिकित्सा संस्थानों पर दवाईयां व ब्लीचिंग पाउडर आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराना।
- मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु पूर्व में दिये गये निर्देशों का मूल्यांकन कर प्रभावी नियंत्रण की कार्यवाही को सुदृढ करना।
- असंतोषप्रद पाये गये पानी के नमूनो की कार्यवाही को सुदृढ बनाया जावे।
- जलजनित बीमारियों जैसे हैजा, आंत्रशोध, उल्टी–दस्त, मोतीझरा, मलेरिया के जांच एवं निदान हेतु जल/मल/उल्टी/खून के नमूनों की कार्यवाही कराई जावे।

सितम्बर से नवम्बर, 2018

- रोगो पर नियंत्रण हेतु की गई कार्यवाही की स्थिति का जायजा लिया जाकर दवाईया एवं ब्लीचिंग पाउडर की स्थिति का मूल्यांकन।
- पानी की जांच एवं शुद्धिकरण का कार्य निरन्तर जारी रखना।
- दूरदराज के क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा हेतु शिविर लगाना।
- अधिक संवेदनशील क्षेंत्रों में नियंत्रण हेतु की गई कार्यवाही का पुनः निरीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही करना।
- सर्दी जनित बीमारियों के बचाव एवं उपचार हेतु व्यवस्था करना तथा आई0ई0सी0 गतिविधियों के माध्यम से जनसाधारण को सर्दी जनित बीमारियों के बचाव एवं उपचार हेतु जानकारी देना।
- जिलो में नगर निगम/नगर पालिका/जिला प्रशासन/स्वंय सेवी संस्थाओं द्वारा सर्दी से बचाव हेतु बनाये गये रेन बसेरों में निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाई जावे।
- जनवरी से अक्टूबर 2017 तक अधिक संवेदनशील पाये गये क्षेत्रों को चिन्हित कर उपचार व रोकथाम की कार्यवाही हेतु कार्ययोजना तैयार की जावे।

दिसम्बर, 2018

- जनवरी से दिसम्बर 2018 तक की गई कार्यवाही प्रतिवेदन का विश्लेषण कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना।
- आवश्यक दवाईयों व ब्लीचिंग पाउडर का स्टॉक सुनिश्चित करना।
- बीमारियों के नियंत्रण एवं मोनिटरिंग की कार्यवाही हेतु अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।
- मौसमी बीमारियों के प्रभावी नियंत्रण की कार्यवाही हेतु भविष्य (अग्रिम वर्ष) के लिए प्रस्ताव तैयार कर कार्य योजना भिजवाना।
- अपने जिलो में अधिक संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर अन्य सूझाव अपने स्तर पर तैयार कर निदेशालय को भिजवाये ताकि आगामी वर्ष में इसे कार्यरूप दिया जा सके।
- रैनबसेरों में जीवनयापन करने वाले सभी व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा दिया जाना सुनिश्चित करें।
- अपने जिले के समस्त चिकित्सा संस्थानों के प्रभारियों को सर्दी जनित बीमारियों के बचाव एवं उपचार हेतु दिशा निर्देश जारी करें।
- शीतलहर से बचाव एवं उपचार हेतु जनसाधारण को जानकारी दी जावे। सर्दी से हुई मृत्युओं का सत्यापन कर सूची प्रति सप्ताह भिजवाई जावें।
- निदेशालय द्वारा जारी परिपत्रों में अंकित निर्देशों के अतिरिक्त बीमारियों के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम बाबत अन्य कोई सुझाव हो तो अग्रिम माहवार कार्ययोजना हेतु भिजवाना।

माहवार मौसमी/सर्दीजनित/गर्मीजनित एवं वर्षाजनित संभावित बीमारियों का विवरण

जनवरी

- शीतलहर के कारण खासकर बच्चों में वायरल बुखार, साधारण खांसी, जुकाम, बुखार के साथ ही कूकर खांसी, लेरिंगोब्रोन्काईटिस, ब्रोन्क्योलाईटिस, निमौनिया, टोन्सलाईटिस तथा अस्थमा जैसे रोग हो सकते है।
- सर्दी जनित बीमारियों के बचाव एवं उपचार हेतु रेनबसेरों में रहने वाले असहाय, वृद्ध एवं बच्चों की चिकित्सा व्यवस्था करना।

फरवरी, मार्च

- खसरा, निमोनिया, चिकनपोक्स, मस्तिष्क ज्वर एवं श्वसन सम्बन्धि रोगों से बचाव हेतु दिशा निर्देश।
- मेला एवं उत्सवों में चिकित्सा सुविधा, जलशुद्धिकरण तथा नमूनीकरण किया जाना।
- मौसमी बीमारियों की महामारी के प्रकोप की सूचना बाबत कडी निगरानी के दिशा निर्देश जारी करना।
- प्रत्येक स्तर पर नियंत्रण कक्ष एवं चिकित्सा दलों का गठन करना।
- अति संवेदनशील क्षेत्रों की सूची तैयार करना।

अप्रेल

- गर्मी जनित बीमारियों एवं जल जनित बीमारियों जैसे उल्टी–दस्त, पीलिया, टाईफाईड, मम्स, स्क्रब टाईफस आदि बीमारियों से बचाव एवं उपचार हेतु दिशा निर्देश।

मई, जून

- लू ताप घात (हीट स्ट्रोक) टाईफाईड, पीलिया, उल्टी–दस्त, हैजा, फूडपोइजनिंग आदि के रोकथाम हेतु दिशा निर्देश जारी करना।
- मौसमी बीमारियों से बचाव एवं उपचार हेतु प्रत्येक स्तर पर अग्रिम रूप से समुचित व्यवस्था करना।

जुलाई, अगस्त

- जलजनित बीमारी जैसे चर्मरोग , पेटदर्द, एसकेवीज (खुजली), फगंस इन्फेक्शन, नेत्र रोग तथा सर्प दंश आदि के उपचार एवं रोकथाम हेतु व्यवस्था करना।
- आवश्यक एवं जीवनरक्षक दवाईयों तथा ब्लीचिंग पाउडर का पर्याप्त मात्रा में भण्डारण रखना।
- रोगों से बचाव एवं उपचार हेतु जनसाधारण को प्रचार–प्रसार के माध्यम से जानकारी देना।
- जलजनित बीमारियों जैसे हैजा, उल्टी–दस्त, मोतीझरा, मलेरिया, पीलिया, आदि के निदान हेतु जल, मल, उल्टी एवं खून के नमूनों की कार्यवाही किया जाना।

सितम्बर से नवम्बर

- रोकथाम एवं नियंत्रण की कार्यवाही की स्थिति का जायजा तथा दवाईयों एवं ब्लीचिंग पाउडर की स्थिति का मूल्यांकन करना।
- दूरदराज के क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा हेतु शिविर लगाना।
  जनवरी से अक्टूबर तक किये गये कार्य का अवलोकन।

दिसम्बर

- जनवरी से दिसम्बर तक की गई कार्यवाही रिपोर्ट का विश्लेषण कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना।
- सभी चिकित्सा संस्थानों पर आवश्यक दवाईयों व ब्लीचिंग पाउडर का स्टॉक सुनिश्चित करना।
- बीमारियों से बचाव एवं उपचार हेतु अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।
- बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम बाबत अग्रिम महावार कार्ययोजना बनाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर भिजवाना।
- सर्दी जनित बीमारियों के रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा निर्देश जारी करना।

Districtwise alloted (Monthly & Yearly Revised) water sample target 2018
(W.S. 10/One lakh Population)

S.no	Name of District	Population	WS Yearly Target	Monthly Target
1	Ajmer	2919365	3503	292
2	Alwar	4260578	5113	426
3	Banswara	2130918	2557	213
4	Baran	1391373	1670	139
5	Barmer	3196104	3835	320
6	Bharatpur	2930222	3516	293
7	Bhilwara	2732228	3279	273
8	Bikaner	2766078	3319	277
9	Bundi	1230662	1477	123
10	Chittorgarh	1718385	2062	172
11	Churu	2329367	2795	233
12	Dausa	1903269	2284	190
13	Dhaulpur	1398231	1678	140
14	Dungarpur	1635437	1963	164
15	Ganganagar	2107010	2528	211
16	H.garh	1984638	2382	198
17	Jaipur	7841419	9410	784
18	Jaisalmer	819043	983	82
19	Jalore	2164119	2597	216
20	Jhalawar	1604736	1926	160
21	Jhunjhunu	2312069	2774	231
22	Jodhpur	4402106	5283	440
23	Karoli	1671590	2006	167
24	Kota	2284247	2741	228
25	Nagaur	3752304	4503	375
26	Pali	2207303	2649	221
27	Rajsamand	1299899	1560	130
28	S.madopur	1518789	1823	152
29	Sikar	2995936	3595	300
30	Sirohi	1194492	1433	119
31	Tonk	1593449	1912	159
32	Udaipur	3577471	4293	358
33	Partapgarh	1006357	1124	94
	Total	78879194	94571	7881